संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
निदेशक सह संयुक्त सचिव का कार्यालय,
सूचना एवं प्रचार विभाग,
सचिवालय, कचिगाम, दमण - 396210
ईमेल: fieldpublicitydaman@gmail.com

C/58

No: IP/DMN/PRP_2023/2023-24/48 **Dated:** 22/11/2024

अधिसूचना/ NOTIFICATION

WHEREAS, THE PRESS AND REGISTRATION OF PERIODICALS ACT, 2023, received the assent of the President on the 28th of December, 2023 and came into force from the 29th of December, 2023.

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Press and Registration of Periodicals Act 2023, the Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to appoint the Secretary (Information & Publicity), Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu as a Senior Officer for implementation of the Act and to coordinate these matters.

AND, THEREFORE, in pursuance of Clause (p) of Section 2 of the Press and Registration of Periodicals Act 2023, the Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to appoint the District Magistrate/District Collector as a Specified Authority in the respective District of U.T. of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu for receiving various applications, intimations and such other documents, forms as may be required under the Act. The Roles and Responsibilities of the Specified Authority (at the District level) shall be as follows;

Sr. No.	Roles and Responsibilities/ भूमिकाएं और जिम्मेदारियां	PRP Act 2023/ पीआरपी अधिनियम 2023
1	Receive intimation online on the Press Seva Portal from the owner or keeper of a printing press located in the local jurisdiction of the Specified Authority and also any revised intimation of the printing press.	**Section 3**
2	Receive an online application on the press Seva portal by a publisher of a periodical who is applying for the grant of registration of the periodical. Specified Authority to furnish on the press Seva portal the comments/no objection of the Specified Authority on the application so received to the Press Registrar General within a period of 60 days from the date of receipt of the application.	**Section 7**
3	Receive an application for change in the particulars of the certificate of registration where the place of publication of the periodical within the state changes from the jurisdiction of one Specified Authority to another and to furnish comments on the online Press Seva Portal to the Press Registrar General within a period of 60 days.	**Section 8**
4	Receive online on the Press Seva Portal an application for transferring the ownership of a periodical from one person/entity to another and to furnish comments to the Press Registrar General within a period of 60 days.	**Section 9**
5	To receive an application on the online Press Seva Portal from a publisher regarding the discontinuation of the publication of a periodical.	**Section 10**
6	To suspend or cancel a certificate of registration of a periodical in such circumstances and manner as would be authorised by the Press Registrar General.	**Section 12 (8)**

Contd…2

C/87

AND THEREFORE, in pursuance of the Sub Section (2) of Section 12 of the Press and Registration of Periodicals Act 2023, the Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, hereby nominate the Department of Information & Publicity in the respective Districts of U.T. of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu to receive 'free of cost' delivery of the newspaper(s) from the publisher(s).

By order and in the name of the
Administrator of DNH & DD

(SHIVAM TEOTIA),
Director-cum-Jt. Secretary (I&P),
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

Copy to:-

1. The Jt. Director (Planning & Statistics) with a request to publish in the official Gazette and provide this office with 10 Gazette copies.
2. The Field Publicity Officer, Daman with a request to publish the above notification in local newspapers of DNH & DD for wide publicity.
3. The Director (Information & Technology) for publishing the notification on the official website of the U.T. Administration of DNH & DD.
4. The Assistant Director (Official Language), Daman for translation in Hindi language.

Copy forwarded for kind information to:-

1. The P.S. to Hon'ble Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Secretariat, Vidyut Bhavan, Kachigam, Daman.
2. The P.A. to the Advisor to the Hon'ble Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Secretariat, Vidyut Bhavan, Kachigam, Daman.
3. The P.A. to the Secretary (Finance), DNH & DD.
4. The P.A. to the Secretary (Information & Publicity), DNH & DD.
5. The P.A. to the Collector, Dadra & Nagar Haveli/Daman/Diu.

By order and in the name of the
Administrator of DNH & DD

(SHIVAM TEOTIA),
Director-cum-Jt. Secretary (I&P),
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

dadra & nagar haveli & daman & diu

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
निदेशक सह संयुक्त सचिव का कार्यालय,
सूचना एवं प्रचार विभाग,
सचिवालय, कचीगाम, दमण - 396210
ईमेल: *fieldpublicitydaman@gmail.com*

सं. : IP/DMN/PRP_2023/2023-24/48

दिनांक :- 22/11/ 2024

अधिसूचना

जबकि, प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 पर 28 दिसंबर, 2023 को माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 29 दिसम्बर, 2023 से प्रभावी हो गया है;

अब, इसलिए, प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के अनुसरण में प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, एतदद्वारा सचिव (सूचना एवं प्रचार), दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव को अधिसूचना के कार्यान्वयन एवं इससे संबंधित मामलों के समन्वय के लिए **"वरिष्ठ अधिकारी"** के रूप में नियुक्त करते हैं।

और, इसलिए, प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 की धारा 2 के खंड (पी) के अनुसरण में, प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, एतदद्वारा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव जिला के संबंधित जिलाधीश/जिला समाहर्ता को अधिनियम के तहत आवश्यक विविध आवेदनों, सूचनाओं तथा अन्य दस्तावेजों, प्रपत्रों को प्राप्त करने के लिए **"निर्दिष्ट प्राधिकारी"** के रूप में नियुक्त करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिला स्तर पर) की भूमिका और जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगी :-

क्र.सं.	भूमिका और जिम्मेदारियां	पीआरपी अधिनियम 2023
1	निर्दिष्ट प्राधिकारी के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित प्रिंटिंग प्रेस के मालिक या स्वामित्व रखनेवाले से **'प्रेस सेवा पोर्टल'** पर ऑनलाइन सूचना और प्रिंटिंग प्रेस की कोई भी संशोधित सूचना प्राप्त करना।	धारा 3
2	किसी पत्रिका के प्रकाशक द्वारा **'प्रेस सेवा पोर्टल'** पर पत्रिका के पंजीकरण के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को उस आवेदन पर अपनी टिप्पणियां/अनापत्ति प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रस्तुत करना।	धारा 7
3	पंजीकरण प्रमाणपत्र के विवरण में परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना जहां राज्य के भीतर आवधिक प्रकाशन का स्थान एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से परिवर्तित हो जाता है और अपनी टिप्पणियां के साथ प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल पर 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना।	धारा 8
4	प्रेस सेवा पोर्टल पर किसी पत्रिका के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना और 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करना।	धारा 9

5	किसी पत्रिका का प्रकाशन बंद करने के संबंध में प्रकाशक से ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल पर सूचना प्राप्त करना।	धारा 10
6	किसी पत्रिका के पंजीकरण प्रमाणपत्र को ऐसी परिस्थितियों और प्रक्रिया से निलंबित या रद्द करना, जैसा कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अधिकृत किया जाए।	धारा 12 (8)

और इसलिए, प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 की धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसरण में, प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, एतदद्वारा दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं दीव जिला के संबंधित सूचना और प्रचार विभाग को प्रकाशक(कों) समाचार पत्र की प्रति 'निःशुल्क' रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करते हैं।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के
आदेश एवं नामानुसार
शिवम तेवतिया
(शिवम तेवतिया)
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (सूचना एवं प्रचार)
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव.

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. संयुक्त निदेशक (योजना एवं सांख्यिकी), दमण को इस अनुरोध के साथ कि इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करें एवं राजपत्र की 10 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
2. क्षेत्र प्रचार अधिकारी, दमण को इस अनुरोध के साथ कि व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु इस अधिसूचना को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।
3. निदेशक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), दमण को इसे संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
4. सहायक निदेशक (राजभाषा), दमण।

प्रतिलिपि सूचानार्थ प्रेषित :-

1. माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के निजी सचिव, सचिवालय, विद्युत भवन, कचीगाम, दमण।
2. माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के सलाहकार के निजी सहायक, सचिवालय, विद्युत भवन, कचीगाम, दमण।
3. सचिव (वित्त) के निजी सहायक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, दमण।
4. सचिव (सूचना एवं प्रचार) के निजी सहायक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, दमण।
5. समाहर्ता के निजी सहायक, दादरा नगर हवेली/दमण/दीव।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के
आदेश एवं नाम से
शिवम तेवतिया
(शिवम तेवतीया)
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (सूचना एवं प्रचार)
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव.